

चुनाव आयोग के अधिकारियों को दो घंटे के इंतज़ार के बाद पंजाब के मु.मंत्री के निवास पर “एंटी” मिली दिल्ली में

अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि मु.मंत्री निवास, कपूरथला हाउस से मतदाताओं को पैसा वितरित किया जा रहा है

नेपु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जनवरी।
दिल्ली में कपूरथला हाउस के बाहर तीन घंटे तक भारी डामेबाजी देखी गई। कपूरथला हाउस असल में पंजाब के मुख्यमंत्री का दिल्ली आवास है। चुनाव आयोग के दो अधिकारी इस शिकायत पर कार्यवाही कर रहे थे कि कपूरथला हाउस से पैसे बांटे जा रहे हैं। जब ये अधिकारी कपूरथला हाउस पहुंचे तो गेट बंद थे पुलिस ने उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दी।
अधिकारियों ने दो घंटे इंतज़ार किया उसके बाद मुख्यमंत्री मान ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। मान उस समय आतिशी के चुनाव

- जाँच करने गई टीम को कपूरथला हाउस में अधिकतर कमरों पर ताले लगे मिले तथा खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पर, अधिकारियों ने कहा कि वे इस घटना के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी रिपोर्ट देंगे।
- जैसा कि विदित ही है, पंजाब भवन के बाहर, बुधवार को एक कार मिली थी, जिसमें कैश, शराब की बोतलें व आप की प्रचार-सामग्री पाई गई थी।
- पर, केजरीवाल के लिये सबसे बड़ा सिरदर्द उनका वो व्यक्तिय साबित हो रहा है, जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार उस पानी में जहर मिला रही है, जो वो दिल्ली को भेजती है। अगर, केजरीवाल यह आरोप साबित नहीं कर पाये तो चुनाव आयोग उन्हें “डिस्वालिफाई” कर सकता है, चुनाव लड़ने के लिये।

क्षेत्र में थे। चुनाव आयोग के अधिकारी सतर्कता विभाग की 6 सदस्यीय टीम के साथ आए थे। रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला

क्योंकि अधिकांश कमरे बंद थे। वे लोग खाली हाथ लौट गए और अब चुनाव आयोग में रिपोर्ट देंगे।
देखना यह है कि चुनाव आयोग

अब क्या एक्शन लेता है। बुधवार को एक कार दिल्ली में पंजाब भवन के सामने खड़ी हुई नजर आई जिसमें नकदी, शराब की बोतलें

और आम आदमी पार्टी के पर्चे मिले। किसी ने भी कार के मालिक होने का दावा नहीं किया है।
केजरीवाल को इस समय अपने इस बयान के कारण भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली आ रहे यमुना के पानी में जहर मिलाती है। अगर वे अपना आरोप सिद्ध नहीं कर पाए तो उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य भी ठहराया जा सकता है।
भाजपा और चुनाव आयोग केजरीवाल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने पर आमादा है और उनके लिए एक के बाद एक अड़चनें पैदा कर रहे हैं।
दिल्ली का चुनाव दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है।

चीन का नया एआई ऐप “डीपसीक” 1962 के युद्ध को “रक्षात्मक पलटवार” बताता है

आज की इन्फॉर्मेशन एज” में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस” (एआई) का उपयोग दुष्प्रचार, कुप्रचार के लिये आसानी से हो सकता है, जैसा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के बारे में “डीपसीक” ने बताया

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जनवरी। यह विडंबना ही है कि इन्फॉर्मेशन के युग में भी दुष्प्रचार और कुप्रचार वैश्विक व्यवस्था के लिए भारी खतरे पैदा कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण है, चीन का राज्य-प्रायोजित एआई, डीपसीक, जो कथित रूप से भारत-चीन युद्ध का विवादास्पद नया अर्थ प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में, जिसे यह देश “दक्षिणी तिब्बत” के रूप में दर्शाता है। यह युद्ध, जो लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों और भूराजनीतिक तनावों से उत्पन्न हुआ था, भारत में एक संवेदनशील विषय है और चीन के हिस्टोरिकल नैटिव का मुख्य बिंदु बना हुआ है।
डीपसीक एआई के विभिन्न फोरम पर देखे गए आउटपुट के अनुसार, चीन इस संघर्ष को भारत द्वारा भड़काने वाली स्थिति पैदा करने के खिलाफ “रक्षात्मक पलटवार” बताता है, जबकि भारत का दृष्टिकोण है कि चीन ने बिना उकसावे के आक्रमण किया था। डीपसीक अक्सर

- “डीपसीक” द्वारा प्रस्तुत विवेचना व विश्लेषण के अनुसार, भारत की गैर-कानूनी घुसपैठ से तंग आकर चीन ने नार्थ-ईस्ट में “रक्षात्मक काउन्टर अटैक” किया था और यह चीन के शांतिपूर्ण नेक सोच का ही सबूत है कि चीन ने इस युद्ध में जीत हासिल करने के बाद भी जीती हुई भूमि लौटा दी और सीमा पर शांति स्थापित की।
- “डीपसीक” का यह प्रस्तुतिकरण सच्चाई से एकदम परे है तथा विश्व यह बहुत पहले स्वीकार कर चुका है कि चीन ने बेवजह आक्रमण किया था। “डीपसीक” विश्लेषण, चीन का प्रॉपगैंडा है, जिसका मकसद, चीन की “टेरिटोरियल महत्वाकांक्षा” को लीपा-पोती करके, सही ठहराना है।

चीन की, सैन्य विजय के बाद की तेज वापसी को, चीन की “शांति चाहने की नीयत” के रूप में प्रस्तुत करता है। भारतीय विश्लेषक इसे इतिहास की घटनाओं को बदलने के चीन के प्रचार के रूप में देखते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इसका उद्देश्य चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को वैध बनाना है।
तथापि, इतिहासकारों और विदेश नीति विश्लेषकों का विचार है कि 1962 का युद्ध चीन द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए उसे प्रमुख आक्रमणकारी कह सकते हैं। उसी वर्ष 20 अक्टूबर को चीन ने सीमा के दोनों- पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में एक समन्वित सैन्य आक्रमण शुरू (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व मु.मंत्री नारायण राणे के पुत्र ने एक बार फिर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

फड़नवीस सरकार में, मंत्री नीतीश राणे ने बुर्का पर प्रतिबंध के लिये अजीबो गरीब तर्क दिया है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जनवरी। भाजपा नेता तथा महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर बुर्का पर प्रतिबंध का विवाद उठाया है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ असाधारण आधार लिये हैं। उन्होंने राज्य के शिक्षा मंत्री दादा भुसे को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा देने वाली छात्राओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाई जानी चाहिये, क्योंकि ढीले वस्त्र परीक्षाओं में नकल तथा चीटिंग को आसान बना सकते हैं।
महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तथा देश के अन्य भागों तक, अदालतें हाल ही के वर्षों में बुर्का पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं में व्यस्त रही हैं। विशेष रूप से, स्कूल-कॉलेजों की छात्राओं के मामले में बहुत मुकदमे दायर हुये हैं।
बहुत से देशों, जिनमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बुल्गारिया, बेलजियम, श्रीलंका, रूस तथा जर्मनी शामिल हैं, में बुर्का पर प्रतिबंध है। स्विट्जरलैंड में तो यह रोक इसी महीने में लगी है। इस सूची में, ताजिकिस्तान एक मात्र मुस्लिम बहुल

- नीतीश राणे का तर्क है कि ढीले-ढाले बुर्के में परीक्षा में “चीटिंग” व “कॉपी” का काम आसानी से हो सकता है। अतः दसवीं व बारहवीं कक्षा की छात्राओं को परीक्षा देने के लिये बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।

देश है, जहाँ हिजाब के उपयोग पर रोक लगाने का कानून लागू हो गया है। इस मामले में भारत की स्थिति में एक अंतर है। इस अंतर का कारण दक्षिणपंथी संगठनों के पदाधिकारियों के वे उकसाऊ और नफरत भरे भाषण हैं, जो बुर्का पर रोक लगाने की मांग करते समय दिये जाते हैं। राणे, जो इस प्रकार के “एजेंट प्रोटेक्टर” के रूप में प्रसिद्ध हैं, अपने विवादास्पद बयानों के लिये जाने जाते हैं। पिछले वर्ष दिसम्बर में, उन्होंने केरल को “मिनी पाकिस्तान” कह दिया था। उन्होंने कहा था कि यही कारण है कि राहुल और प्रियंका गांधी उस राज्य से सांसद चुने गये। उन्होंने आरोप लगाया था कि “सभी आतंकवादी उन्हें वोट देते हैं।” अभी हाल ही में, सैफ अली खान पर चाकू से हूये हमले को लेकर, उन्होंने इस घटना को “फिक्” बताया था तथा सैफ अली खान को कूड़ा-करकट (गार्बेज) कह

लोग सिर काटने की धमकी देते हुये सुनाई दे रहे हैं।
राणे, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के पुत्र हैं, ने भुसे को लिखे अपने पत्र में कहा है कि बुर्के पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिये क्योंकि देवेन्द्र फड़नवीस सरकार “तुष्टिकरण की राजनीति” में विश्वास नहीं करती है।

विधानसभा सत्र आज से

जयपुर, 30 जनवरी (का.सं.)। सोलहवीं विधानसभा का तृतीय सत्र का शुक्रवार को सुबह 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अंभिभाषण से शुभारम्भ होगा। राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगा राम पटेल फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया जाएगा और वे सलाामी गार्द का निरीक्षण भी करेंगे। राज्यपाल को परम्परा के अनुसार पूर्ण सम्मान के साथ अंभिभाषण के लिए सदन में ले जाया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ने आज विधानसभा में शुक्रवार से प्रारंभ होने जा रहे तृतीय सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। देवनानी ने विधान सभा सदन, राज्यपाल के अगवानी स्थल, चिकित्सा व्यवस्था, कैटीन सहित विभिन्न कक्षों को देखा और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

‘मैरिट के बाद भी महिला सुपरवाइजर को नियुक्ति क्यों नहीं दी’

जयपुर, 30 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजर भर्ती-2024 में मैरिट में आने के बावजूद, एमबीसी वर्ग की अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही, अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश नोरज कुमारी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक

- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया व याचिकाकर्ता के लिये एक पद सुरक्षित रखने को कहा।

सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता स्वप्निल सिंह पटेल ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने बीते साल महिला सुपरवाइजर भर्ती निकाली थी, जिसमें सामान्य पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को मैरिट के हिसाब से बुलाया गया। याचिकाकर्ता ने एमबीसी वर्ग में आवेदन किया और राज्य सरकार को इस वर्ग से महिला सुपरवाइजर के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

जयपुर, 30 जनवरी। जिले की पाँचसौ मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ चार दिन तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रकाश चंद को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर 2.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी के.सी. अटवसिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने भले ही पीड़िता की सहमति से संबंध बनाए हों, लेकिन पीड़िता नाबालिग है और नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि मामले में पीड़िता के

- पाँचसौ मामलों की विशेष अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

पिता ने 10 नवंबर, 2020 को फुलेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी गत माह अपनी बहन के घर आई हुई थी। इस दौरान वह 9 नवंबर को विवाह समारोह में गई थी और वहां से लापता हो गई। उसे शक है कि प्रकाश उसे बहला फुसलाकर ले गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, पीड़िता ने अदालत को बताया कि प्रकाश और वह ईंट-भट्टे पर काम करते थे और इस कारण एक-दूसरे को जानते थे। घटना के दिन प्रकाश ने उसे फोन कर बुलाया और अपने साथ सीकर ले गया। यहां से वह उसे पटियाला में भट्टे पर ले गया और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस की भांति भाजपा भी अन्तर्कलह से चरमरा रही है कर्नाटक में

कांग्रेस में तो मु.मंत्री सिद्धारमैया व उप मु.मंत्री शिवकुमार के झगड़े आम चर्चा का विषय हैं, पर, अब यह रोग भाजपा को भी अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है

-लक्ष्मण बैकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 30 जनवरी। कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस ही अन्तर्कलह तथा दो वरिष्ठ नेताओं की प्रतिद्वंद्विता से नहीं जूझ रही, भाजपा की स्थिति भी खास अच्छी नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के एक बड़े गुटे ने नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बी.एस. येदियुरप्पा के पुत्र बी. वाय विजयेन्द्र को हटाने के लिए असंतुष्ट नेताओं ने मुहिम छेड़ दी है। ये नेता कुछ माह पहले से विजयेन्द्र को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सवाल कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को विजयेन्द्र के नेतृत्व के खिलाफ

- पूर्व मु.मंत्री, लिंगायत महारथी येदियुरप्पा कुछ समय पूर्व तक अजेय और एकमात्र नेता थे भाजपा में तथा जब भाजपा ने उनसे छेड़-छाड़ की थी तो वे पार्टी छोड़कर चले गये थे तथा भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था, अगले चुनाव में।
- भाजपा ने गलती स्वीकार करते हुए येदियुरप्पा को पुनः पार्टी में आमंत्रित किया और भाजपा पुनः सत्ता में लौटी।
- भाजपा ने संगठन में परिवर्तन करते हुए येदियुरप्पा के पुत्र को प्रदेशाध्यक्ष बनाया।
- पर, धीरे-धीरे येदियुरप्पा के पुत्र के खिलाफ फुसफुसाहट शुरू हुई और अब ये शिकायतें भारी शोर में तब्दील हो गई हैं।
- भाजपा के कई भारी नेता संगठित हो गये हैं, येदियुरप्पा पुत्र को पदच्युत कराने के लिये और येदियुरप्पा का रूतबा भी उनके विरोध-विद्रोह को रोक नहीं पा रहा है।

खुली बगावत कर दी, इनमें चिकाबल्लापुर के सांसद पूर्व स्वास्थ्य

मंत्री डॉ.के.सुधाकर प्रमुख हैं। विजयेन्द्र पार्टी के नेताओं व

पदाधिकारियों में वह मान सम्मान हासिल नहीं कर पाए, जो उनके पिता

येदियुरप्पा को प्राप्त था और जिस तरह से वे पक्षपात से काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने ही समर्थकों को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे कार्यकर्ता उनसे और ज्यादा दूर हो गए हैं तथा वरिष्ठ नेता भी उनकी इस कार्यशैली से नाराज हैं। पार्टी के कई कद्दावर नेताओं को विजयेन्द्र की यह कार्यशैली पसंद नहीं आ रही है।
विजयेन्द्र के पिता पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समुदाय के ताकतवर नेता येदियुरप्पा पार्टी के निर्वाचित नेता रहे थे। यही नहीं, उन्होंने एक बार पार्टी को करारा सबक भी सिखाया, जब उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी और फिर पार्टी बुरी तरह से हार गई थी।
इसके बाद येदियुरप्पा को पुनः (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाकुंभ : मेला क्षेत्र में लगी आग, 15 टेंट जले

महाकुंभनगर, 30 जनवरी। महाकुंभनगर के छतना गाट पुलिस थाना क्षेत्र में गुरुवार को लगी आग में 15 टेंट जलकर राख हो गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि टेंट में आग लगने की सूचना पर अग्निशमन दल की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि 15 टेंट आग की चपेट में आये थे। फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
उन्होंने बताया कि जहां आग लगी, वहां शिविर पर शैव संप्रदाय जून अखाड़ी का फर्जी बोर्ड लगा रहा था और शिविर अनाधिकृत रूप से लगाया गया था।

- आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि होने की खबर नहीं है।

शर्मा ने बताया कि इससे कुछ समय पहले, अरैल की तरफ बने डोम सिटी में भी आग लगने की की घटना की सूचना मिली थी, जहां चार अग्निशमन वाहनों ने पहुंच कर 40 सैंक्रेड्स में आग पर काबू पा लिया। इस घटना में भी कोई जनहानि नहीं हुई है। दोनों आग लगने की घटनाओं के कारण का पता लगाया जा रहा है।
गौरतलब है कि महाकुंभ के मेला क्षेत्र में 19 जनवरी की शाम को शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रसन्न के कैम्प में आग लगी थी, जिसमें 18 शिविर जलकर राख हो गए थे। लाखों रूपए मूल्य की कितानें और शिविर में रखे नोट भी जलकर नष्ट हो गए थे। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर से रिसाव बताया गया था। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई थी।